



# हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण

प्रीत विहार, दिल्ली रोड, हापुड़-245101. ☎ 0122-2308764-65  
वेबसाइट: www.hpdaonline.in, ई-मेल: hpda\_1@rediffmail.com

पत्रांक

138/मुख्य अभियंता/एचओपीओडीओ/2022

दिनांक: 11.07.2022

## निविदा आमंत्रण सूचना

हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण में पंजीकृत/विशिष्ट श्रेणी के ठेकेदारों से निम्नलिखित कार्य हेतु सीलबंद निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। कार्य की निविदा प्रपत्र वेबसाइट [www.hpdaonline.in](http://www.hpdaonline.in) से निविदा तिथि से एक दिन पूर्व अपराह्न 2 बजे तक डाउनलोड अथवा अधिशासी अभियन्ता के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते हैं एवं सचिव कार्यालय, मुख्य अभियन्ता कार्यालय, वित्त नियंत्रक कार्यालय हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण में रखे निविदा बॉक्स में स्तम्भ (8) में अंकित तिथि को अपराह्न 3 बजे तक डाले जा सकेंगे अथवा रजिस्टर्ड डाक से 3.00 बजे तक भेजे जा सकते हैं। परन्तु निर्धारित समय के पश्चात प्राप्त निविदाओं पर विचार नहीं किया जायेगा। प्राप्त निविदाएं निविदा खोलने की तिथि को अपराह्न 3.30 बजे ठेकेदारों अथवा उनके अधिकृत प्रतिनिधियों (यदि उपस्थित हुए) के समक्ष प्राधिकरण सभाकार में खोली जायेगी।

क्र. सं.	कार्य का नाम	अनु.धनराशि (₹.लाख में)	निविदा मूल्य (₹.में)	घरोहर राशि (₹.में)	कार्य पूर्ण करने की अवधि	श्रेणी	निविदा खोलने की दिनांक
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	उद्यान अनुभाग के अर्न्तगत प्राधिकरण विकास क्षेत्र में उद्यानीकरण व जंगल भास-कटाई, छटाई-इत्यादि. कार्यों के लिए. 3 माह की अवधि हेतु श्रमिकों की आपूर्ति का कार्य।	3.67	590.00	18,500.00	03 माह	श्रेणी-डी (उद्यान)	22.07.2022
2	आनन्द विहार आवासीय योजना के ब्लॉक ए में स्थित भूखण्ड संख्या ए-134 से ए-137 के सामने अपूर्ण निर्मित पार्क में उद्यानीकरण एवं अनुरक्षण का कार्य।	3.85	590.00	19,300.00	13 माह	श्रेणी-डी (उद्यान)	22.07.2022

### नियम व शर्तें:-

- निविदा खोलने की तिथि को अवकाश होने की दशा में निविदायें अगले कार्य दिवस में खोली जायेगी।
- निविदा शुल्क एवं घरोहर धनराशि केवल RTGS/NEFT/FDR के रूप में जो उपाध्यक्ष हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण के पक्ष में बंधक हो प्रस्तुत करने पर संबंधित अधिशासी अभियन्ता, वित्त नियंत्रक एवं केनरा बैंक एचओपीओडीओ शाखा से कालम (8) में अंकित तिथि से एक दिन पूर्व अपराह्न 2:00 बजे तक प्राप्त की जा सकती है।
- सशर्त निविदा मान्य नहीं होगी। निविदा देने से पूर्व निविदादाता स्थल का निरीक्षण अवश्य कर ले। किसी भी विवाद की स्थिति में उपाध्यक्ष हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण का निर्णय अन्तिम होगा।
- श्रम विभाग हापुड़ में भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार अधिनियम 1996 के अर्न्तगत पंजीकरण सुनिश्चित करना होगा एवं उक्त के साथ साथ कार्य के दौरान यदि किसी श्रमिक की कार्य स्थल पर मृत्यु होती है, या गम्भीर हाति पहुचती है तो उस स्थिति में सन्निर्माण कर्मकार अपने अधीन नियोजित श्रमिक को कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम 1923 के प्राविधानों के अनुसार प्रतिकर देने के लिए उत्तरदायी होगा।
- ठेकेदार को श्रमिकों के नियमानुसार ईओपीओ/ईओएसओआईओसी के प्राविधानों एवं सुरक्षा उपायों का अनुपालन करना होगा।
- विशिष्ट श्रेणी का तात्पर्य-कार्य हेतु प्राधिकरण में पंजीकरण की आवश्यकता नहीं है, परन्तु समान प्रकृति के कार्य का अनुभव होना आवश्यक है।
- निविदा संबंधित सूचना प्राधिकरण वेबसाइट [www.hpdaonline.in](http://www.hpdaonline.in) पर उपलब्ध है। इच्छुक निविदा दाताओं से अनुरोध है कि वे नियमित रूप से उक्त वेबसाइट को देखते रहें। निविदाओं के संबंध में कोई परिवर्तन/परिवर्धन विषयक सूचना प्राधिकरण की वेबसाइट पर ही उपलब्ध करायी जायेगी।

*ash*  
11.07.22

मुख्य अभियन्ता  
हापुड़-पिलखुवा विकास प्राधिकरण  
हापुड़

पृष्ठांकन- तदैव।  
प्रतिलिपि:

01. सचिव/वित्त नियंत्रक को सूचनार्थ प्रेषित।
02. अधिशासी अभियन्ता (सिविल), एवं प्रभारी उद्यान को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।
03. संबंधित सहायक अभियन्ता को निविदा प्रपत्र सॉफ्ट कॉपी में नियत तिथि से 2 दिन पूर्व अवर अनियन्ता तकनीकी को उपलब्ध कराने हेतु प्रेषित।

मुख्य अभियन्ता